**प्रेस नोट** **17/11/2023**

**पुलिस मुठभेड़ में हत्यारोपित 02 शातिर अपराधी घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध पिस्टल व खोखा/जिंदा कारतूस एवं एक मोटरसाईकिल बरामद–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना चिरैयाकोट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 17.11.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत कमालचक नहर पटरी के पास से पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर अपराधियों सर्वेश यादव पुत्र स्व0 सुरेश व आशीष यादव पुत्र चन्द्रिका निवासीगण बस्तीचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अवैध पिस्टल व खोखा/जिंदा कारतूस एवं एक मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस बरामद किया गया। जवाबी फायरिंग के दौरान उक्त आशीष के दाहिने व सर्वेश के बांये पैर में गोली लगी है जिनका इलाज कराया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों अपराधियों द्वारा दिनांक 07.11.2023 को थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत समय करीब सवा 04 बजे सायंकाल अब्दोपुर तिराहे पर लगभग 28 वर्षीय सोनू यादव पुत्र कमलेश निवासी अब्दोपुर थाना चिरैयाकोट मऊ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त दोनों सहित कुल 05 आरोपियों के विरुद्ध मु0अ0सं0 148/23 धारा 302,120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस टीमों का गठन कर हत्यारोपित अभियुक्तों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु सख्त दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–**

1. सर्वेश यादव पुत्र स्व0 सुरेश।
2. आशीष यादव पुत्र चन्द्रिका निवासीगण बस्तीचक थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

**बरामदगी–**

1. 02 अवैध पिस्टल व खोखा/जिंदा कारतूस 32 बोर।
2. एक मोटरसाईकिल स्प्लेंडर प्लस (भ्रामक नंबर प्लेट)।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–**

1. उ0नि0 अमित कुमार मिश्र एसओजी/सर्विलांस प्रभारी, का0 अविनाश धर दुबे, का0 पंकज यादव, का ऋषभ0 द्विवेदी, चालक बब्बन सिंह चौहान एसओजी टीम मऊ।
2. हे0का0 विवेक कुमार सिंह व का0 बृजेश मौर्य सर्विलांस सेल।
3. निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना चिरैयाकोट मय हमराहियान।

**अपराधिक इतिहास आशीष यादव–**

1. मु0अ0सं0 189/17 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना चिरैयाकोट मऊ।
2. मु0अ0सं0 131/18 धारा 147,148,149,323,504,506,307 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ।
3. मु0अ0सं0 30/19 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना चिरैयाकोट मऊ।
4. मु0अ0सं0 निल/20 धारा 3(1) गुण्डा नियन्त्रण अधि0 थाना चिरैयाकोट मऊ।
5. मु0अ0सं0 28/21 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ।
6. मु0अ0सं0 148/23 धारा 302,120बी भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ।

**अपराधिक इतिहास सर्वेश यादव–**

1. मु0अ0सं0 130/21 धारा 323,504,506 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ।
2. मु0अ0सं0 28/21 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ।
3. मु0अ0सं0 148/23 धारा 302,120बी भादवि थाना चिरैयाकोट मऊ।

***पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा उत्साहवर्धन हेतु उक्त गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम को 25 हजार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।***